


<p>तारिख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थना पत्र संख्या 73/2021</p>	<p>नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम कीतामिल में जारी हुए</p>
<p>23.1.2023</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। परोकार सरकार उपस्थित। बहस सुनी गई। अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 को नोटिस की समाचार पत्र के माध्यम से तामिल होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने के कारण प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/3 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह यक्त किया कि प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय में तहसीलदार, शिवगंज द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि को पुनः कृषि भूमि दर्ज करने के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में अप्रार्थीगण के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई थी, जो प्रार्थी के अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपील अदम हाजरी व अदम पैरवी में दिनांक 09.6.2017 को खारिज की गई थी जिसकी सूचना प्रार्थी के अधिवक्ता ने प्रार्थी को नहीं दी, इस कारण से उक्त अपील में पारित आदेश दिनांक 09.6.2017 को निरस्त कराने एवं उक्त अपील प्रकरण को पुनः सुनवाई हेतु नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थी निर्धारित समयावधि में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाया है, जिसमें प्रार्थी की कोई लापरवाही नहीं रही है। यह कि इसी प्रकार के अन्य अपील प्रकरण इस न्यायालय द्वारा निर्णित किये जाने पर उनके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में अपीले प्रस्तुत की गई थी जो विचाराधीन रहते हुए प्रकरण अन्तिम बहस में आने पर प्रार्थी द्वारा दस्तावेजों की जांच करने पर प्रार्थी को जानकारी हुई कि इस प्रकरण से संबंधित अपील प्रकरण में अपील दायर नहीं हुई तब प्रार्थी ने मार्च, 2020 में जानकारी की तो पता चला कि मौजूदा अपील प्रकरण दिनांक 09.6.2017 को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है जिस पर प्रार्थी ने नकल हेतु आवेदन किया, किन्तु कोरोना काल व लॉक डाउन की वजह से प्रार्थी समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका है एवं लॉक डाउन व कोरोना काल के बाद नियमित अदालत खुलने पर उक्त आदेश दिनांक 09.6.2017 को निरस्त कराने हेतु एवं अपील प्रकरण को सुनवाई हेतु पुनः नंबर पर लिये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो स्वीकार कर उक्त आदेश दिनांक 09.6.2017 को निरस्त कर अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश पारित किये जावे। जबकि परोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी के अधिवक्ता को इस न्यायालय द्वारा उक्त अपील प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 09.6.2017 को तीन बार आवाजे लगवाने के बावजूद अपीलार्थी के वकील उपस्थित नहीं होने से उक्त प्रकरण को अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया गया है। हमने सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं न्यायालय पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि राजस्व अपील संख्या 17/2016 में नियत सुनवाई तिथि 09.6.2017 को इस न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के वकील को तीन बार आवाजे लगवाने के बाद भी अपीलार्थी के वकील इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से दिनांक 09.6.2017 को अपीलार्थी की अपील को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया गया है, जिसको निरस्त कराने हेतु एवं उक्त अपील प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने हेतु प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध यह प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 9 नियम 9 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व अपील संख्या 17/2016 में पारित आदेश दिनांक 09.6.2017 को निरस्त किया जाकर उक्त अपील प्रकरण को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। इस प्रार्थना पत्र की पत्रावली इको मूल अपील को नत्थी किया जावे।</p>	

(के.आर.खौड)

अति. जिला कलक्टर
फ़िरोही (राज.)